न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 34 / 2025, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. गुलाबचन्द पुत्र देवपाल
2. काडूराम पुत्र जगन्या उर्फ जगन
3. गोविन्दा पुत्र देवपाल
4. रेवतीप्रसाद पुत्र जगन्या उर्फ जगन
5. लख्मीचन्द पुत्र जगन्या उर्फ जगन
6. शम्भूराम पुत्र देवपाल

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम बेरखेडा, तहसील महवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. टुण्डा पुत्र श्योनारायण
2. चांदूलाल पुत्र श्योदान
3. मनोहरीलाल पुत्र श्योदान
4. प्रेमबाई पत्नि हजारीलाल
5. विश्राम पुत्र हजारीलाल
6. लेखराज पुत्र हजारीलाल
7. मुनेशी पुत्री हजारीलाल

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम बेरखेडा तहसील महवा जिला दौसा।

8. कंचन पुत्री जिन्सी पत्नि राधाकिशन जाति मीना निवासी टोडी का बास, मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा।
9. रामकिशन पुत्र जिन्सी जाति मीना निवासी ग्राम बेरखेडा तहसील महवा जिला दौसा।
10. नन्नी पुत्री जिन्सी पत्नि काडू जाति मीना निवासी बालाहेडी, गोया का बास तहसील महवा जिला दौसा।
11. भोती पुत्री जिन्सी पत्नि मुकेश जाति मीना निवासी सांथा तहसील महवा जिला दौसा।
12. छोटी देवी पत्नि बाबू जाति मीना निवासी ग्राम बेरखेडा तहसील महवा जिला दौसा।
13. प्रहलाद पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासी ग्राम बेरखेडा तहसील महवा जिला दौसा।
14. नानगी उर्फ नहनी पुत्री बाबू पत्नि ओमप्रकाश जाति मीना निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील रैणी जिला अलवर।
15. रामस्वरूप पुत्र मूलचन्द उर्फ मूल्या जाति मीना निवासी ग्राम बेरखेडा तहसील महवा जिला दौसा।
16. श्रीमन पुत्र हीरा जाति मीना निवासी ग्राम बेरखेडा तहसील महवा जिला दौसा।
17. तहसीलदार, तहसील महवा जिला दौसा
18. सुश्री मनीषा मीना आर. ए. एस. उप जिला कलक्टर महवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा में विचाराधीन प्रकरण संख्या 191 / 2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए उनवानी टुण्डा बनाम तहसीलदार

उपस्थितिः श्री ब्रजमोहन गौड अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री राजकुमार तिवाडी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 उपस्थित।
: श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 16 उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः— 07.05.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 17 को अप्रार्थीगण पक्षकार बनाकर अप्रार्थी संख्या 18 सुश्री मनीषा मीना उप जिला कलक्टर महवा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. का. अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 816 व 817 किस्म चाही ए पर होकर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 856 व 859 वाके ग्राम बैरखेडा में आवागमनार्थ रास्ता चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। न्यायालय उप जिला कलक्टर द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र प्रचलित किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्रोत्तर न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 856 व 859 में आवागमनार्थ वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने का तथ्य अंकित कर हमारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 816 व 817 चाही में होकर रास्ता नहीं निकालने की प्रार्थना की। प्रार्थना पत्र पत्रोत्तर के बाद तहसीलदार महवा को पत्र प्रेषित कर प्रतिवेदन चाहा गया। तहसीलदार महवा ने पटवारी हल्का से प्रतिवेदन चाहा। पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण को सूचित किये बिना ही एक पक्षीय प्रतिवेदन तहसीलदार महवा को एवं तहसीलदार महवा ने उप जिला कलक्टर महवा को प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया। उप जिला कलक्टर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर हम प्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता कायम करने पर आमादा है। जिसके कारण प्रार्थीगण के अधिकारो का हनन होने व अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना है। प्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी के अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार के कारण प्रकरण में न्यायोचित आदेश पारित नहीं होने की आशा रखते है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 द्वारा दी जा रही चेतावनी से संदेह विश्वास में बदल गया है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की अप्रार्थी संख्या 18 पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर महवा से सांठ गांठ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी महवा से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण कराये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। उपखण्ड अधिकारी महवा से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार तिवाडी एवं अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 16 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित आये। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्रोत्तर न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 856 व 859 में आवागमनार्थ वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने का तथ्य अंकित कर हमारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 816 व 817 चाही में होकर रास्ता नहीं निकालने की प्रार्थना की। प्रार्थना पत्र पत्रोत्तर के बाद तहसीलदार महवा को पत्र प्रेषित कर प्रतिवेदन चाहा गया। तहसीलदार महवा ने पटवारी हल्का से प्रतिवेदन चाहा। पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण को सूचित किये बिना ही एक पक्षीय प्रतिवेदन तहसीलदार महवा को एवं तहसीलदार महवा ने उप जिला कलक्टर महवा को प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया। पटवारी हल्का ने अपने प्रतिवदेन में ग्राम पंचायत के सरपंच ने लेटरपेड पर विगत 35–40 वर्षो से रास्ता होना बताकर अपने लैटर पैड पर पटवारी को लिखकर देने अंकित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 16:03:37 IST
Reason: SelfAttested

किया है व सरपंच ग्राम पंचायत टुडियाना पंचायत समिति महवा से सम्पर्क करने पर दिनांक 05.04.2005 को ग्राम पंचायत के लैटरपेड पर लिखा है कि उसके द्वारा पटवारी हल्का को रास्ता प्रार्थीगण के खेत में होकर होने का कोई पत्र नहीं दिया। पटवारी हल्का के पास ऐसी कोई लिखावट है तो वह फर्जी है। पटवारी हल्का की भूमिका संदेहास्पद है। ग्राम पंचायत के पत्र को दिनांक 16.04.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। जिसमें अंकित तथ्य की जांच उप जिला कलक्टर द्वारा नहीं की। प्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर महवा का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है। प्रार्थीगण उप जिला कलक्टर महवा से प्रकरण में न्यायोचित आदेश पारित नहीं करने की आशा रखते है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 द्वारा चेतावनी भी दी जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का संदेह विश्वास में बदल गया है कि पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की सांठ गांठ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण प्रकरण का निर्णय उप जिला कलक्टर महवा के न्यायालय से नहीं करवाना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त सन्दर्भ में सिविल न्यायालय में भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 बी आरटीए पेश किया गया है जो विचाराधीन है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी अन्य न्यायालय में पत्रावली स्थानान्तरण किये जाने के आदेश पारित किये जाने का श्रम करे।

अधिवक्तागण अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता चाहने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा में पेश किया गया है। जिसमें दोनो पक्षों की बहस सुनी जाकर प्रकरण अन्तिम चरण में होने पर प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है। प्रार्थीगण का उद्देश्य प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना तथा प्रकरण को लम्बित रखना है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण होने के उपरान्त पीडित पक्षकार द्वारा अपीलेट न्यायालय में अपील के प्रावधान है। किन्तु प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत कर प्रकरण को लम्बित रखा जाना उचित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा पर झूठे व मनगढंत आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावें।

उप जिला कलक्टर महवा से प्राप्त तथ्यात्मक टिप्पणी के अनुसार प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के तहत ही पक्षकारान को सुना गया तथा तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं समस्त पक्षकारों को नोटिस क्रमांक 46 दिनांक 8.1.2025 द्वारा जारी किये जाकर विधिवत कार्यवाही की जाकर समस्त पक्षकारान को सूचना देने के उपरान्त मौका रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट के दौरान उपस्थित हुए पक्षकारों के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही निर्णय दिया जाता है। प्रकरण के अप्रार्थीगण के साथ पक्षपात करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है क्यों कि इस न्यायालय से प्रकरण के प्रार्थीगण के साथ व्यक्तिशः सरोकार नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जा चुकी है, पत्रावली अंतिम चरण पर है जिसमें आदेश सुनाना शेष है। यदि प्रार्थी प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:37 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा उप जिला कलक्टर महवा की टिप्पण का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जा चुकी है तथा पत्रावली अंतिम चरण में है। तदोपरान्त प्रार्थीगण द्वारा इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा के विरूद्ध लगाये गये आरोपों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किये गये हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय उपरान्त सक्षम न्यायालय में अपील किये जाने के प्रावधान हैं। प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर विलम्ब किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी महवा को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:37 IST
Reason: SelfAttested